

सर्वोत्तम पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिव्हर्सिटी  
फेक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

दिनांक .....  
21 FEB 2025

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2024/385  
प्रति,

प्राचार्य/संचालक,  
स्व. गुलाबबाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय,  
बेरावां, जिला खरगोन (म.प्र.)

विषय:- महाविद्यालय को शिक्षा संकाय में पीएच.डी. शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16/12/2024 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10/01/2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	पीएच.डी. शोध केन्द्र शिक्षा संकाय	2024-25	शिक्षा संकाय में पीएच.डी. शोध केन्द्र की मान्यता सशर्त प्रदान की जाती है।

शर्त:-

1. महाविद्यालय द्वारा शोध केन्द्र का वार्षिक सम्बद्धता/नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में जमा किया जावे।
2. विश्वविद्यालय परिनियम क्र. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन [aishe.gov.in](http://aishe.gov.in) के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

दिनांक .....

21 FEB 2025

पृ. क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2024/385  
प्रतिलिपि :-

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक,

महाविद्यालय विकास परिषद

